कर्नाटक काया का योजना ऋण[@ 0%] ब्याज| योजनाऑनलाइनआवेदनपत्र

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एक शून्य ब्याज (ब्याज मुक्त) / रियायती ऋण योजना शुरू की है। राज्य सरकार रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। सहकारी बैंकों से एसएचजी को 10 लाख। राज्य बजट 2018-19 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कर्नाटक कायाका योजना, अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह योजना उन कई लोगों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जो राज्य सरकार ने कौशल और उद्यमियों के विकास के लिए शुरू की है। यह लेख कर्नाटक कायाक योजना के मुख्य अंशों को चित्रित करता है।

योजनाकाउद्देश्य

यहां वे कर्नाटक कायाका योजना के उद्देश्य हैं।

- महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना।
- वितीय सहायता प्रदान करने के लिए।
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार और सशक्तिकरण के अवसर पैदा करना।
- एसएचजी को बढ़ाने के लिए।
- महिलाओं को उद्यमिता पर प्रभावित करना।

कर्नाटककायाकायोजनाकाअवलोकन

राज्य के बजट 2018-19 में, मुख्यमंत्री ने एक ऐसी परियोजना की घोषणा की है जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को लाभान्वित करती है। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिसमें रु। 5 लाख रुपये के ऊपर 0% ब्याज और ऋण के अधीन। 10 लाख ने 4% ब्याज दरों के अधीन किया। कर्नाटक की यह ऋण योजना राज्य में वितीय और व्यापार की प्रगति को लिक्षित करती है।

कर्नाटक कायाका योजना ऋण योजना का कार्यान्वयन कर्नाटक कायाका योजना महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता की वृद्धि और कौशल विकास के लिए एक व्यापक योजना है। योजना को इस वर्ष से शुरू होने वाले विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में, सभी शहरी क्षेत्रों को 3000 एसएचजी के साथ कवर किया जाएगा जो ऋण लाभ के साथ प्रदान किए जाएंगे। योजना के कार्यान्वयन पर, पात्र एसएचजी ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार इस योजना के तहत महिला संघों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को खरीदने की योजना बना रही है। सरकार ने विभिन्न उत्पादों के विकास में मदद करने के लिए प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए और उन्हें उक्त योजना के तहत बाजार में उतारा। इसके अलावा, सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी तैयार उत्पादों पर विपणन सुविधा लागू हो।

कर्नाटककायाकायोजनाकेलिएपात्रता

निम्न श्रेणी से संबंधित महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

- आवेदकों को राज्य के नागरिक होने चाहिए।
- केवल महिलाएं अधिकृत स्व-सहायता समूह और राज्य सीमाओं के भीतर स्थित एसएचजी पात्र हैं।

कर्नाटककायाकायोजनाकेलाभ

योजना में नामांकन करके निम्नलिखित लाभों का लाभ उठाया जा सकता है।

- महिलाओं द्वारा आसानी से ऋण लिया जा सकता है।
- ब्याज-मुक्त ऋण रुपये की राशि के लिए प्रदान किए जाते हैं। 5 लाख।
- कम ब्याज वाले ऋण या रियायती ऋण रुपये के बीच के
 ऋण के लिए 4% की ब्याज दर पर लागू होते हैं। 5 लाख से
 रा 10 लाख।

कर्नाटक कायाका योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे कर्नाटक काका योजना की विशेषताएं और हाइलाइट्स दिए गए हैं।

एसएचजीकाविकास

राज्य में स्थित SHG के लिए कायाका योजना लागू है। एसएचजी नागरिकों के बीच कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए फंड का उपयोग करता है।

ऋणकीआसानउपलब्धता

इस योजना के लागू होने के बाद SHG आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के बीच कौशल विकास के सुधार के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं।

ऋणकीराशि

राज्य सरकार रुपये के बीच ऋण प्रदान करती है। 1 लाख और रु। स्वयं सहायता समूह को 10 लाख।

क्रेडिटपरब्याज

ऋण राशि के लिए जो रु। से कम है। 5 लाख, कर्नाटक कायाका योजना ऋण योजना के तहत कोई ब्याज लागू नहीं होगा। ऋण राशि के लिए जो रुपये के बीच है। 5 लाख से रु। 10 लाख, ब्याज दर पर 4% ब्याज लिया जाएगा।

कौशलप्रशिक्षण

योजना द्वारा पेश कौशल प्रशिक्षण छोटे व्यवसायों और व्यवसायी महिलाओं को सहायता प्रदान करता है। यह उद्योग में छोटे और सीमांत लोगों के समग्र विकास में योगदान देता है।

आवेदनकीप्रक्रिया

योजना को मंजूरी दे दी गई है, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, इस योजना के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की सुविधा है। सभी विवरणों की पुष्टि हो जाने के बाद, आवेदक राज्य पोर्टल में परियोजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।